www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 06.04.2017

सीबीआई ने आर.बी.आई. के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन पर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के एक कर्मी के विरूद्ध मामला दर्ज किया व तलाशी ली

सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, नेहरू गंज शाखा, कालाबुर्गी (कर्नाटक) के प्रधान खजांची (हेड कैशियर) एवं अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 409, 420 एवं 477-ए तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि प्रधान खजांची (हेड कैशियर) एवं अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों ने साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र किया और स्वैप विधि (SWAP methodology) का प्रयोग कर दिनांक 10.11.2016 से 30.11.2016 की काल अवधि के दौरान कपटपूर्ण तरीके से 109.00 लाख रू. (लगभग) की धनराशि की विमुद्रीकृत मुद्रा को वैध मुद्रा से बदलने की सुविधा प्रदान की तथा विधि मान्य मुद्रा से निर्दिष्ट बैंक नोटों (SBNs) को बदलने में आर.बी.आई. द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लघंन किया।

कोटनूर, गुलबर्गा स्थित आरोपी के आवास पर तलाशी ली गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

****